न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक – 18-11-22

क्रमांक रीडर/2022/ 4467

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जमाल 2 इस्माईल पिसरान सुभान जाति मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी (सांजटा) तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।		1 हासम पुत्र मुरीद जाति मुसलमान 2 गुणेशाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट 3 बाबूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट 4 देरामाराम पुत्र सिरामाराम जाति नाई 5 हांजीखां पुत्र मेराण 6 कोजा खां पुत्र सुमार खां 7 सचुखां पुत्र समदखां जाति मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी (सांजटा) तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 9 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 209/2022 दिनांक– 4.11.22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भांभुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्य 965/668 रकबा 41.06 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2022/ 4468–71 दिनांक– 18-11-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जमाल पुत्र सुभान वगैराह जाति मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी (सांजटा) तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी हासम पुत्र मुरीद वगैराह जाति मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी (सांजटा) तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर